चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र

(राजकीय/निजी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश उपरान्त प्रस्तुत करने के लिये)

यह प्रमाण-पत्र/राजकीय/निजी औ.प्र.सं. में प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य अभ्यर्थी के लिये जारी किया गया है ।

मैं डॉ. ....

(चिकित्सक का नाम) (चिकित्सालय का नाम)

में कार्यरत हूँ । मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री/कु0/श्रीमती ....

पुत्र/पुत्री/पत्नी .... का/की सावधानी पूर्वक चिकित्सा जॉच की है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी राजकीय/निजी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रवेश योग्य है । निर्धारित शारीरिक मानदण्डो के अनुसार चिकित्सा परीक्षा में अयोग्यता का होना नही पाया गया ।

अभ्यर्थी को गम्भीर बीमारी या मानसिक या शारीरिक दुर्बलता नही है जिसके कारण यह निकट भविष्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में अथवा कार्य सम्पादन करने में अयोग्य है ।

अतः अभ्यर्थी चिकित्सा मानदण्ड अनुसार राजस्थान में राजकीय/निजी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में चिकित्सा के मानदण्ड अनुसार प्रवेश लेने योग्य है ।

पहचान चिन्ह ....

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
पद व अस्पताल की मोहर

दिनांक ....

अभ्यर्थी का पासपोर्ट साईज का फोटो (चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये ।

नोट :- 1. अभ्यर्थी का फोटोग्राफ उपरोक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये ।

2. चिकित्सा स्वस्थ्य प्रमाण पत्र राजकीय/राजकीय चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित) द्वारा ही हस्ताक्षरित होना चाहिये ।

3. चिकित्सा अधिकारी द्वारा फोटोग्राफर हस्ताक्षर मय सील लगी होनी चाहिये ।

4. शारीरिक विकलांग अभ्यर्थी द्वारा विकलांगता के अतिरिक्त अन्य सभी तथ्यो हेतु योग्य होना अनिवार्य है ।

5. शारीरिक विकलांगता का सक्षम प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में अलग से भरा हुआ प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

मैं (अभ्यर्थी)..पुत्र श्री...

जाति ....आयु...वर्ष निवासी...

तहसील...जिला..शपथ पूर्वक निम्नलिखित घोषणा करता हूँ कि –

1. मैं ....औधोगिक प्रशिक्षण केन्द्र,.............................में ....व्यवसाय में प्रवेश लेना चाहुता हूँ ।
2. संस्थान की प्रवेश एवं प्रशिक्षण निर्देशिका मे निर्देशित, निर्देशो, अनुशासनात्मक नियमो, उप-नियमो, संस्थान द्वारा प्रदत्त निर्देशो तथा समय समय पर संस्थान की और से जारी समस्त दिशा निर्देशो की पालना करूंगा ।
3. मेरे द्वारा दिये गये विवरण को असत्य पाये जाने, प्रशिक्षण की अवधि में उपस्थिति, प्रगति असंतोषजनक होने पर, संस्थान के नियमो का उल्लंघन करने अनुशासनहीनता करने पर संस्था प्रधान को छात्रवृत्ति बंद करने, संस्थान से नाम पृथक करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
4. मेरे द्वारा किसी भी परिस्थिति में अधूरा प्रशिक्षण छोड़ने/नाम पृथक किये जाने, दोनो ही स्थिति में किसी प्रकार के शुल्क वापसी का मुझे कोई अधिकार नही रहेगा । अधूरा प्रशिक्षण छोड़ना पड़ा तो प्रशिक्षण अवधि का संपूर्ण शुल्क जमा कराऊंगा ।
5. मेरे सम्बन्ध में मेरे माता/पिता एवं शपथ ग्रहिता अभिभावक के अतिरिक्त संस्थान किसी अन्य के प्रति जवाबदेय नही होगा ।
6. मेरे फोन/मोबाईल नं...है । भविष्य में यदि सम्पर्क नम्बर चैन्ज करता हूँ तो संस्थान को लिखित सूचना भेजकर अवगत कराऊंगा ।
7. संस्थान द्वारा इस कोर्स के लिये तय फीस ....शब्दो में.. ....रखी गई है । जो कि मुझे स्वीकार्य है तथा यह सम्पूर्ण शुल्क प्रवेश पत्र में वर्णित नियत तिथि पर जमा कराऊंगा । नियत तिथि तक बकाया फीस जमा नही कराने पर संस्थान को कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
8. मैंने औधेगिक प्रशिक्षण केन्द्र .... के अतिरिक्त किसी भी अन्य संस्थान/स्कूल/कॉलेज में नियमित प्रवेश नही लिया है और न ही प्रशिक्षण के दौरान किसी अन्य संस्थान/स्कूल/कॉलेज में नियमित प्रवेश लूंगा । यदि ऐसा पाया जाता है तो उसके लिये मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहुँगा
एवं केन्द्र को संस्थान से मेरे पुत्र/सम्बन्धी का नाम पृथक करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
9. फार्म तथा प्रोस्पेक्ट्स में दिये समस्त दिशा निर्देश व नियम मैंने पढ लिये है तथा मुझे स्वीकार है ।
10. प्रवेश पश्चात मैं व्यवसाय परिवर्तन की मांग नही करूंगा । प्रवेश की अन्तिम तिथि से पूर्व यदि मैं केन्द्र में प्रवेश लेने से मना करता हूँ तो केन्द्र को नियमानुसार शुल्क कटोती करने का अधिकार होगा ।
11. प्रशिक्षण शुल्क के अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क, नामांकन शुल्क परीक्षा शुल्क एवं अन्य देय शुल्क जमा कराने का दायित्व मेरा रहेगा। शुल्क जमा नही कराने पर परीक्षा से वंचित होने एवं मेरे उपर पडने वाले विपरित प्रभाव अथवा हानि के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहुंगा।
12. प्रवेश शुल्क जितना तय किया गया है पूरा शुल्क तय अवधि तक जमा करवाऊंगा ।
13. प्रवेश लेने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में प्रवेश निरस्त नही होगा अगर परिस्थितिवश निरस्त करवाना होगा तो 7 दिवस के अंदर 5000 रू. शुल्क काटकर बाकी राशि लौटाई जायेगी जो मुझे स्वीकार है ।
14. प्रवेश लेने के 7 दिन के बाद किसी भी परिस्थिति में जमा की गई फीस संस्था द्वारा वापस नही लौटाई जायेगी जो मुझे स्वीकार है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
(अभिभावक)

सत्यापन

मैं (अभ्यर्थी)..पुत्र...

एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी पूर्णत:सत्य है तथा मेरे द्वारा इसे सत्यापित किया जाता है ।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
(अभिभावक)